राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव

(आर०ए०एस०)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
122 / 2023	07.07.2024	09.12.2024

1. कुन्तीदेवी पत्नी जोरावर जाति राजपूत निवासी झझारपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर,राज०

––– वादीया

बनाम

1. भोमसिंह पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी पीपली तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर
3. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर, अलवर

––– प्रतिवादीगण

4.सुमनबाई पुत्री जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी झझारपुर तह० गुण्डावर जिला अलवर, राज०

––– तर० प्रतिवादीया

दावा– तकासमा मय हु० ई०दवामी

अर्न्तगत धारा 53 व 188 राज० काश्त० अधि०.

–: पर्चा डिकी : –

अतः वाद वादी डिकी किया जाता है– कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.08.2024 प्रदर्श – अ एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श–ब इस निर्णय एवं पर्चा डिकी का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श–अ एवं प्रदर्श–ब के अनुसार ही हाल भू0 अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 09.12.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(मनीष कुमार जाटव)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव

(आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
122/2023	07.07.2024	09.12.2024

1. कुन्तीदेवी पत्नी जोरावर जाति राजपूत निवासी झझारपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर,राज०

––– वादीया

बनाम

1. भोमसिंह पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी पीपली तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०

2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर

3. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर, अलवर

––– प्रतिवादीगण

4.सुमनबाई पुत्री जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी झझारपुर तह० गुण्डावर जिला अलवर राज0

––– तर० प्रतिवादीया

दावा– तकासमा मय हु० ई०दवामी

अर्न्तगत धारा 53 व 188 राज० काश्त० अधि०.

वादिया ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया है कि–. यह है कि आराजी हाल ख०नम्बर 1152/1962/1 रकबा 0.13 हैव०, वाके ग्राम शामदा तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज० में स्थित है, जो आराजी इस बाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

. आराजी हाल ख०नम्बर 1152/1962/1 रकबा 0.13 हैव०, वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर में स्थित रहा है , जिस आराजी का बंटवारा होने के कारण खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

1152/1962 /1 रकबा 0.13 है0 मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया के नाम मिन नम्बर कायम हुआ है।

यह है कि मिन वादीया व तर० प्रतिवादीमा द्वारा उक्त विवादित आराजी खन्न० 1152/1962/1 रकबा 0.13 हैव०, में से 7/13 भाग शीलादेवी पत्नी राजेन्द्रसिंह तंवर जाति राजपूत नि० प्याऊवाली वाणी तन अगई तह० कोटपूतली को बेचान कर दिया तथा केता के नाम राजस्व रिर्कोड में इन्तकाल सं0 3590 दर्ज व मंजूर हो गया तथा केता द्वारा भी उक्त खरीदशुद्धा हिस्सा 7/13 भाग को प्रतिवादी स० 1 को बेचान कर दिया तथा प्रतिवादी स० 1 के नाम इन्तकाल स० 3991 दर्ज व मंजूर हो गया।

यह है कि उक्त विवादित आराजी में मिन वादीया व प्रतिवादी स० 1 व तर० प्रतिवादीया का हिस्सा दर्ज राजस्व रिर्कोड है तथा विवादित आराजी के राजस्व रिकॉड में मिन वादीया व प्रतिवादी स० 1 व तर० प्रतिवादीया के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौके पर मिन वादीया व प्रतिवादी सं० 1 अपने अपने हिस्सेनुसार आराजी पर काबिज होकर सामलात में काश्त करते चले आ रहे हैं।

विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में मिन वादिया व प्रतिवादी सं0 1 व तरतीबी प्रतिवादिया के नाम का अंकन शामलात में दर्ज होने व शामलात में काश्त होने का बेजा फायदा उठा कर प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी में मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर मिन वादिया को आराजी से बेदखल करने व आराजी को बिना तकासमा कराये ही रहन बय करने व आराजी पर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे हैं जबकि शामलाती आराजी में प्रत्येक हिस्सेदार का इंच इंच पर कब्जा होना कानून की धारणा होती है। इसलिए मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया का अब प्रतिवादीगण का शामलात में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। इसलिए मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया अपने हिस्से दर्ज राजस्व रिकोर्ड का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने के अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा पेश किया जाना लाजिमी आया है। दिनांक 02.07.2023 को प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी में मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर मिन वादिया ने मना किया तो प्रतिवादी सं0 ने धमकी दी कि मैं तुम्हारे हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर अपने हिस्से की आराजी का बिना तकासमा कराये ही रहन बय से मुंतकिल कर दूंगा तथा आराजी पर पुख्ता निर्माण करके रहूंगा। तथा तुम्हें आराजी से बेदखल कर काश्त नहीं करने दूंगा । जिस पर मिन वादिया ने मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 आमादा लडाई झगडा हो गया बस यही वाद हेतु बिनाय दावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अवधि पेश है।

आराजी शाामलाती होने के कारण सुविधा का संतुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिनवादी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादी स०1 द्वारा मिन वादीया व तर प्रतिवादीया के हिस्से पर जबरन कब्जा कर मिन वादीया व तर0 प्रतिवादीया को आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीया को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्वी किसी भी प्रकार की रूपये पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बेमायना हो जावेगा। चूंकि मिन वादीया के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए मिन वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

अतः वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि डिक्री इजराय तकासमा इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1152/1962/1 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया के हिस्से दर्ज राजस्व रिकोर्ड का तकासमा मौके पर काबिज अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे। व मिन वादी का खाता अलग कायम किया जाकर मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया को अलग से दखल दिलाई जावे।

(ब) यह है कि डिक्री हु० ई० दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाये कि वो विवादित आराजी वादपत्र के जिम्मननं० 1 में दर्ज वाके ग्राम शामदा तह० मुण्डावर में मिन वादीया व तर० प्रतिवादीया के हिस्से की आराजी पर जरबन कब्जा नहीं करे, ना ही मिन वादीया को आराजी से बेदखल करे, ना ही आराजी को बिला तकासमा कहीं रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादीया के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, ना ही आराजी पर कोई निर्माण करे व रिकॉड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला उपस्थित नहीं आये। वकील वादी ने वाद तकासमा का होने के कारण सहमति से प्रारम्भिक निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। वाद वादी को उभय पक्षकारान की सहमति से प्रारम्भिक निर्णित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन मे प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, नकल नक्शा ट्रेश आदि पेश किये हैं प्रकरण मे तहसीलदार मुण्डावर को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ते संबधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 28.06.24 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये। उक्त आराजी बाबत मंगाये जाने कुर्रेजात प्रस्ताव तहसीलदार मुंण्डावर को अहकाम जारी किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पत्रांक भू अभिलेख 6272 दिनांक 12.08.2024 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रेषित की गई। उक्त प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादिया को सुना गया वकील वादिया ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करने की सहमति वक्त बहस अंतिम प्रदान की। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

:– आदेश –:

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है– कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.08.2024 प्रदर्श – अ एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श–ब इस निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श–अ एवं प्रदर्श–ब के अनुसार ही हाल भू0 अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 09/12/2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(मनीष कुमार [illegible])
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला खैरथल – तिजारा

Scanned with OKEN Scanner

मुख्यालय (

09/12/24 उभय पक्षगण पेश हुये / वकील

प्रार्थी उपस्थित। उभय पक्ष पुकार से

संकलित हुक्म बाद का निर्णय किया जाता

है। चूंकि इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही

इसी [illegible] पक्षकार, पक्षगण

[illegible] पक्षगण [illegible]

होना [illegible] है। बाद निर्णय पत्रावली

दाखिल दफ्तर रहे। /Sd

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुख्यालय (खैरथल-तिजारा)